

मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को समन

[Summon to Legal Representative of a Deceased Defendant]

[व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 का नियम 4 देखें]

न्यायालय

श्री

द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)

विरुद्ध

प्रकरण संख्या

प्रकरण विषय

प्रेषित,

श्री

आ./ध.प. श्री

जाति

पता

यतः

+ श्री

ने इस न्यायालय में दिनांक

को श्री

के विरुद्ध

हेतु संस्थापित किया था/की थी

उक्त

की उसके पश्चात् मृत्यु हो चुकी है और यतः उक्त

ने यह अभिकथन करते हुए कि आप उक्त मृतक श्री

के

के वैधिक प्रतिनिधि हैं यह इच्छा करते हुए कि उनके स्थान पर आपको

+ बनाया

जाए इस न्यायालय में आवेदन किया है।

अतः आपको समन किया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षा करने हेतु आप

दिनांक

को

बजे न्यायालय में उपस्थित हो तथा निर्दिष्ट दिवस को

आपकी उपस्थिति में चूक होने पर उक्त प्रकरण आपकी अनुपस्थिति में सुना तथा निश्चय किया जायेगा।

यह आज दिनांक

को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ दिया गया।

न्यायालय
की मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के लघु हस्ताक्षर

न्यायाधीश
की पद मुद्रा

+ यहां प्रकरण प्रस्तुतकर्ता की प्रास्थिति (स्टेट्स) लिखे, यथा वादी / प्राथी / याची / पुनरावेदक (अपीलाण्ट) इत्यादि।

◆ यहां प्रकरण प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखे।

+ यहां जिस मृतक के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया उसकी प्रास्थिति लिखे, यथा प्रतिवादी/अप्राथी/अयाची
उत्तरवादी (रेस्पोडेन्ट) इत्यादि।

✚ यहां मृतक का नाम लिखे।

★ यहां प्रकरण का प्रकार लिखे यथा वाद/प्राथना पत्र/ याचिका/पुनरावेदन (अपील) इत्यादि।

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख के समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी (क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी। (क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में मैंने उक्त को नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख को उक्त ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।

मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को समन

[Summon to Legal Representative of a Deceased Defendant]

[व्यवहार (सिविल) प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 का नियम 4 देखें]

न्यायालय

श्री

द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)

विरुद्ध

प्रकरण संख्या

प्रकरण विषय

प्रेषित,

श्री

आ./ध.प. श्री

जाति

पता

यतः

+ श्री

ने इस न्यायालय में दिनांक

को श्री

के विरुद्ध

हेतु संस्थापित किया था/की थी

उक्त

की उसके पश्चात् मृत्यु हो चुकी है और यतः उक्त

ने यह अभिकथन करते हुए कि आप उक्त मृतक श्री

के

के वैधिक प्रतिनिधि हैं यह इच्छा करते हुए कि उनके स्थान पर आपको

+ बनाया

जाए इस न्यायालय में आवेदन किया है।

अतः आपको समन किया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षा करने हेतु आप दिनांक को बजे न्यायालय में उपस्थित हो तथा निर्दिष्ट दिवस को आपकी उपस्थिति में चूक होने पर उक्त प्रकरण आपकी अनुपस्थिति में सुना तथा निश्चय किया जायेगा।

यह आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ दिया गया।

न्यायालय
की मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के लघु हस्ताक्षर

न्यायाधीश
की पद मुद्रा

+ यहां प्रकरण प्रस्तुतकर्ता की प्रास्थिति (स्टेट्स) लिखे, यथा वादी / प्रार्थी / याची / पुनरावेदक (अपीलाण्ट) इत्यादि।

✧ यहां प्रकरण प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखे।

+ यहां जिस मृतक के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया उसकी प्रास्थिति लिखे, यथा प्रतिवादी/अप्रार्थी/अयाची उत्तरवादी (रेस्पोंडेन्ट) इत्यादि।

ने यहां मृतक का नाम लिखे।

★ यहां प्रकरण का प्रकार लिखे यथा वाद/प्रार्थना पत्र/ याचिका/पुनरावेदन (अपील) इत्यादि।

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख के समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह / अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी (क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह / अपरान्ह में उसकी एक प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी। (क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह / अपरान्ह में मैंने उक्त को नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख को उक्त ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।